दूरभाष / Telephone: 011-26185097
फैक्स / Fax:- 011-26185097

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA

मुख्य कार्यालय / Head Office

भविष्य निधि भवन, 14, भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली -110066
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi- 110066
ई-मेल : dir.ol@epfindia.gov.in

संख्या:- हि.अ. 8(7) /11/ हिंदी पखवाड़ा / 8661 दिनांक 10 अगस्त AUG 2011

सेवा में,

1. सभी अपर केन्द्रीय आयुक्त (अंचल)
2. निदेशक (नाटरस)
3. सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-। (क्षेत्रीय कार्यालय)
4. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (प्रशासनिक सेवा) मुख्यालय
5. सभी प्रभारी अधिकारी, उप क्षेत्रीय कार्यालय

विषय:- **संगठन के सभी कार्यालयों में 14 सितम्बर से 28 सितम्बर, 2011 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन**

To organize Hindi Fortnight from 14 Sept. to 28 Sept. in all Offices of EPFO.

महोदय,

जैसा कि विदित है 14 सितम्बर, 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था तथा हर वर्ष 14 सितम्बर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है । पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में संगठन के सभी कार्यालयों में **14.09.2011 से 28.09.2011 तक** हिंदी पखवाड़ा आयोजित करने का निर्णय लिया गया है । कृपया हिंदी पखवाड़े के दौरान निम्नलिखत बिन्दुओं पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए:-

- प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी दिनांक 14 सितम्बर को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रशासनिक प्रधान अपने कार्यालयों में राजभाषा को बढ़ावा देने की गतिविधियों, कार्यक्रमों आदि का संचालन एवं पर्यवेक्षण करें ।
- इस वर्ष हिंदी दिवस के अवसर पर सभी अधिकारी तथा कर्मचारी अपने आपको इस संकल्प के प्रति समर्पित करें कि वे हिंदी पढ़ने, बोलने व लिखने में अपनी प्रतिष्ठा व सम्मान समझेंगे ।
- सामान्य टिप्पणियों और पत्रादि के मसौदे हिंदी में तैयार किए जाएं । इस दिशा में वरिष्ठ अधिकारी स्वंय हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करके साथी कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित करें। इससे हिंदी में कार्य को प्रतिष्ठा / सम्मान से जुड़ने में मदद मिलेगी ।
- विभाग की वेब साइट में सामग्री अनिवार्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में डाली जाए । यह सुनिश्चित किया जाए कि हिंदी वेबसाइट अंग्रेजी वेबसाइट के साथ - साथ अद्यतित की जा रही है ।
- भारत जैसे बहुभाषी देश में ई - गवर्नेंस लागू करने में मानक एनकोडिंग एक आवश्यक आधार है । अत: प्रत्येक कम्प्यूटर पर हिंदी को मानक भाषा एनकोडिंग यानि यूनिकोड में प्रयोग के लिए सक्रिय (Activate) किया जाए ।
- उच्च स्तरीय बैठकों में चर्चाओं में मौखिक तथा लिखित रूप में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाया जाए ।
- ई - मेल के माध्यम से हिंदी का प्रयोग बढ़ाया जाए तथा अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग सुनिश्चित करें ।
- राजभाषा प्रयोग को बढ़ाने के प्रयासों में सरल और स्वाभाविक हिंदी का प्रयोग सुनिश्चित करें ।
- कार्यालय भवन के मुख्य द्वार एवं कार्यालय के अंदर समुचित स्थलों पर दो या तीन बैनर अवश्य लगाए जाएं ।

- इस दौरान एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन भी अवश्य किया जाए ।
- सभी अनुभागों की फाइलों आदि में हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जाएं ।
- हिंदी पखवाड़े के दौरान कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर से हिंदी में अधिकाधिक कार्य करने हेतु एक अपील जारी की जाए ।
- हिंदी प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विजेता अधिकारियों / कर्मचारियों को पुरस्कार वितरण हेतु मुख्य समारोह का भव्य आयोजन किया जाए । समापन समारोह में हिंदी के किसी प्रतिष्ठित विद्वान अथवा किसी अन्य उपयुक्त व्यक्ति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है ।

आपसे अनुरोध है कि हिंदी पखवाड़े के दौरान निम्नलिखित प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं, जिसका ब्यौरा **अनुलग्नक 'क'** पर संलग्न है ।

क्रम संख्या	प्रतियोगिता का नाम	पुरस्कार की राशि		
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय
1.	टिप्पण एवं आलेखन प्रतियोगिता	1200/-रूपए	1100/-रूपए	1000/-रूपए
2.	विचार प्रतियोगिता	1200/-रूपए	1100/-रूपए	1000/-रूपए
3.	निबंध प्रतियोगिता	1200/-रूपए	1100/-रूपए	1000/-रूपए
4.	अन्तर अनुभागीय शील्ड प्रतियोगिता	1200/- रूपए नकद तथा शील्ड हेतु 300/- रूपए अनुमानित		

साथ ही, **'ग' क्षेत्र** में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों में आयोजित की जाने वाली हिंदी निबंध लेखन (हिंदीतर भाषी) प्रतियोगिता को सितम्बर माह में ही आयोजित किया जाए । इस प्रतियोगिता की अन्य शर्तें पूर्व में जारी स्कीम के अनुसार होंगी । इस प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार की राशि का भुगतान निम्नानुसार कल्याण निधि (वेलफेयर फण्ड) से संबंधित कार्यालयों द्वारा किया जाएगा ।

- **प्रथम पुरस्कार (एक) - 600/- रूपए**
- **द्वितीय पुरस्कार (एक) - 400/- रूपए**
- **तृतीय पुरस्कार (एक) - 200/- रूपए**
- **सान्त्वना पुरस्कार (तीन) - 100/- रूपए प्रत्येक**

कृपया इस संबंध में मुख्यालय द्वारा जारी अनुदेशों तथा इस विषय में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा - निदेशों को ध्यान में रखते हुए हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जाए तथा इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को समय से भेज दी जाए ।

भवदीय,

(ए. कुलश्रेष्ठ)
अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (पेंशन) एवं
प्रभारी राजभाषा

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्नलिखित को प्रेषित:-

1. सभी अधिकारीगण - मुख्यालय
2. सभी आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान, पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी एवं दक्षिणी अंचल ।
3. सभी आंतरिक लेखा परीक्षा दल ।
4. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के निजी सचिव ।
5. सभी उपनिदेशक / सहायक निदेशक (राजभाषा)
6. संयुक्त निदेशक (राजभाषा), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली ।
7. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त - II, एन.डी.सी. को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।

(राजवीर सिंह)
निदेशक (राजभाषा)
17/08/11

अनुलग्नक 'क'

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (मुख्यालय)
नई दिल्ली - 110066

विषय:- **14 सितम्बर, 2011 से 28 सितम्बर, 2011 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन - प्रतियोगिताओं का ब्यौरा एवं दिशा - निर्देश ।**

1. **हिंदी टिप्पण / आलेखन प्रतियोगिता**

(क) इस प्रतियोगिता में चुने हुए विषयों पर दो टिप्पण तथा दो पत्र लेखन पूछे जायेंगे तथा प्रश्न - पत्र में तीन - तीन टिप्पण / आलेखन विकल्प के तौर पर दिए जायेंगे ।

(ख) इस प्रतियोगिता का समय 75 मिनट निर्धारित रहेगा तथा पूर्णांक 100 होंगे । प्रत्येक प्रश्न के अंक समान होंगे ।

2. **हिंदी निबंध प्रतियोगिता**

(क) इस प्रतियोगिता का समय 75 मिनट निर्धारित रहेगा तथा पूर्णांक 100 होंगे ।

(ख) इस प्रतियोगिता में प्रतियोगियों को तीन विषय दिए जाएंगे जिसमें एक विषय चुनने का विकल्प रहेगा ।

3. **विचार प्रतियोगिता**

(क) इस प्रतियोगिता का समय प्रत्येक उम्मीदवार के लिए 5 मिनट का रहेगा ।

(ख) इसके मूल्यांकन के लिए तीन निर्णायकों की समिति बनाई जाएगी तथा प्रत्येक निर्णायक को अधिकतम 10 अंक देने का अधिकार होगा । इस प्रकार प्रतियोगिता 30 अंकों की निर्धारित रहेगी ।

(ग) विषय के संबंध में प्रतिभागी को एक दिन पहले नोटिस बोर्ड द्वारा सूचित कर दिया जाएगा ।

(घ) प्रतियोगी पक्ष या विपक्ष में बोल सकते हैं ।

4. **अन्तर अनुभागीय शील्ड प्रतियोगिता**

(क) इस प्रतियोगिता के लिए 01 अप्रैल, 2011 से 31 अगस्त, 2011 के दौरान किए गए कार्य के आधार पर निर्णय किया जाएगा ।

(ख) इस प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार की राशि 1200/- रूपए निर्धारित रहेगी तथा यह राशि शील्ड विजेता अनुभाग के कर्मचारियों में बराबर वितरित की जायेगी ।

(ग) इस प्रतियोगिता के लिए 3 अधिकारियों की समिति का गठन किया जाएगा जो अप्रैल, 2011 से अगस्त 2011 के दौरान हिंदी में किए गए कार्यों का मूल्यांकन करेंगे ।